समाधान ऑन लाईन कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने किया समस्याओं का निदान

शालिनी बनेगी लाड़ली लक्ष्मी, कृषक कोदूराम को मिलेगा पुश्तैनी जमीन का हक़

Bhopal:Tuesday, September 1, 2009:Updated 19:50IST

मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने आज समाधान ऑन लाईन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आम लोगों की विभिन्न दिक्कतों का मौके पर ही निराकरण किया। मुख्य सचिव आज नई दिल्ली प्रवास पर थे, उन्होंने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र NIC के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से सीधे प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों ओर संबंधित विभागीय अधिकारियों से संवाद किया। मुख्य सचिव ने इस दौरान विभिन्न आवेदकों की शिकायतों की विस्तार से जानकारी ली तथा उनका निदान करने के निर्देश दिये। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित स्टूडियों में उनके साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री इकबाल सिंह भी मौजूद थे। राज्य मंत्रालय भोपाल में सचिव मुख्यमंत्री श्री अनुराग जैन ने समाधान ऑन लाईन कार्यक्रम का समन्वय किया।

"समाधान ऑन लाईन" कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी संभागों में अब तक हुई वर्षा, खरीफ फसलों की स्थिति, पेयजल की उपलब्धता तथा भूजल स्तर के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अनंत चतुर्दशी पर्व के मौके पर प्रदेश में सभी जगह कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखे जाने के तथा सतर्कता बरतने के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी हिदायतें भी दीं।

समाधान ऑन लाईन कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने रीवा जिले की त्यौंथर तहसील के ग्राम ककरहा की श्रीमती नीता मिश्रा की बिटिया कु. शालिनी को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश मौके पर ही जिला कलेक्टर को दिए। आवेदिका की एकमात्र पुत्री के जन्म के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तत्कालीन नियमों में व्यवस्था नहीं होने कु.

शालिनी को उस समय लाड़ली लक्ष्मी योजना में शामिल नहीं किया गया था। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि पहली पुत्री के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक नहीं होता अत: शालिनी को योजना का लाभ लेने की पात्रता है।

इसी तरह, कटनी जिले के देवराखुर्द निवासी श्री कोदूराम को उनकी पुश्तैनी भूमि के अभिलेख और भू-अधिकार उन्हें सौंपे जाने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिये। श्री कोदूराम ने बताया कि उनकी पुश्तैनी भूमि को शासन द्वारा अधिकृत कर लिया गया था तथा उन्हें अब तक इसके बदले कोई मुआवजा अथवा अन्य भूमि का पट्टा भी नहीं दिया गया है।

मुख्य सचिव ने समर्पण समाज कल्याण समिति जबलपुर के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराए गये कार्यों की राशि का भुगतान संस्था को नहीं मिलने की शिकायत पर 15 दिवस में मामले की जांच-पड़ताल के लिए एक दल भेजने के निर्देश विकास आयुक्त मध्यप्रदेश को दिए। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील के ग्राम लक्ष्मणपुरा की श्रीमती गीता बाई तथा श्री पूनमचंद सहित अन्य ग्रामीणों की इस शिकायत पर भी उन्हें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। कार्यस्थल पर जांच दल भेजने के निर्देश विकास आयुक्त म.प्र. श्री परशुराम को दिये गये। मुख्य सचिव ने फर्जी राशन कार्डों की शिकायत की जांच के बारे में भी निर्देशित किया।

समाधान ऑन लाईन के दौरान राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत भाभा इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल के बी.ई. चतुर्थ सेमिस्टर के छात्र श्री नितेश कुमार सूर्यवंशी को ओ.वी.सी. छात्रवृत्ति मंजूर नहीं हो पाने के मामले में उनके पिता की वार्षिक आय का सही आकलन कर उनका पात्रता का पता लगाने के निर्देश भी मौके पर जिला कलेक्टर भोपाल को दिये गए। इसी प्रकार राजगढ़ जिले के ग्राम हरिपुरा में भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत बनाए गए तालाब पर खर्च हुई राशि छह लाख रुपये के भुगतान के लिये भी संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया।

मुख्य सचिव ने ग्वालियर के रामनगर की श्रीमती मनोरमा भदौरिया द्वारा अनुकंपा नियुक्ति चाहे जाने पर उन्हें बताया कि अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता है। भीतरवार, ग्वालियर के श्री कामताप्रसाद द्वारा उनके घर हुए अग्नि दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं मिलने संबंधी शिकायत पर आवेदक को बताया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने से उन्हें मुआवजे की पात्रता नहीं है। मुख्य सचिव ने इस दौरान बताया कि आर.बी.सी. के तहत अग्नि दुर्घटना के मामलों में कृषि सामग्री तथा उपकरणों के नुकसान के लिये राहत

का प्रावधान है और आवेदक ने उनके यहां रखे कृषि सिंचाई पाईपों के आग से नष्ट होने के संबंध में जानकारी दी है। अतः इस मामले का पुनर्परीक्षण किया जायेगा।

इस दौरान कलेक्टर अशोकनगर ने बताया कि ग्राम बीलाखेड़ा की श्रीमती गुड्डी बाई पति श्री चंदन अहिरवार को जननी सुरक्षा योजना का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता। यह लाभ संस्थागत प्रसव के प्रकरणों में ही मिलता है। कलेक्टर ने बताया कि आवेदिका को कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के तहत पांच हजार रुपये की सहायता प्रदान कर दी गई है।

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर देवास ने जानकारी दी कि सरस्वती स्व-सहायता समूह तहसील टोकखुर्द द्वारा पिछले 6 माह से मध्यान्ह भोजन का भुगतान जनपद पंचायत से प्राप्त नहीं होने की शिकायत की गई थी। भुगतान में अनावश्यक विलंब के दोषी कर्मचारी को निलंबित किया जा चुका है तथा संस्था को प्राथमिक शाला में भोजन व्यवस्था का भुगतान हो चुका है। माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के एवज में संस्था को बकाया 13 हजार 550 रुपये राशि का भुगतान आज ही दिया जा रहा है।